

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/प्रवेश/2022/5849

दिनांक: 07/09/2022

// अधिसूचना //


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला ग्वालियर से प्राप्त आदेश क्रमांक रहित दिनांक 02 सितम्बर 2022 के संदर्भ में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त विभागाध्यक्षों/समन्वयकों/निदेशकों एवं विभागाधिकारी/कर्मचारियों तथा अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आधार डाटा संग्रहण हेतु 16 ग्वालियर पूर्व, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में दिनांक 12/09/2022 एवं 13/09/2022 को गालव सभागार में प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक कैम्प आयोजित किया गया है।

उक्त कैम्प के संबंध में कार्यवाही हेतु डॉ० रविकान्त अदालतवाले, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा डॉ० समीर एस० भाग्यवंत, वरिष्ठ प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है साथ ही इनके द्वारा विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक से समन्वय कर संबंधित क्षेत्र के बी०एल०ओ० से संपर्क कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

**कैम्प के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।**

कैम्प का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक किया जायेगा।

1. नियत दिनांक एवं समय में संस्था द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है। तो तदाशय की सूचना विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन राष्ट्रीयकरण अधिकारी को दी जायेगी कैम्प की संपूर्ण व्यवस्था यथा-स्थान, फर्नीचर आदि। संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।
2. विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/समन्वयकों/निदेशकों एवं विभागाधिकारी/कर्मचारियों तथा अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कैम्प की जानकारी एवं वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति साथ में लाने की सूचना विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
3. कैम्प के दौरान 50-50 के बैच बनाकर बी०एल०ओ०/नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों व आधार ऑनलाईन लिंकिंग करायी जायेगी और छात्रों को उनके परिजनों के आधार लिंक कराने क समझाइस भी दी जायेगी।
4. विश्वविद्यालय प्रमुख/बी०एल०ओ० सुपरवाइजर/बी०एल०ओ० समस्त बैचों के आधार संग्रहण क जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उसी दिन उपलब्ध करायेगें।


  
कुलसचिव


प्रति ,

संबंधित की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. डॉ० रविकान्त अदालतवाले, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर इस आशय के साथ प्रेषित की वह संलग्न पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. डॉ० समीर एस० भाग्यवंत, वरिष्ठ प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी०वि०वि० ग्वालियर।
4. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. श्री संजय बरतरिया, प्रभारी आई०टी० सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित की वह उक्त अधिसूच को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
सहा०/उप-कुलसचिव (प्रशा०)



# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

## आवश्यक सूचना

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जीवाजी विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त विभागध्यक्षों / समन्वयकों / निर्देशकों / विभागअधिकारीयों / शिक्षकों / समस्त कर्मचारीगण एवं अध्ययन शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड उनके मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बी एल ओ और उनकी टीम दिनांक 12.09.2022 एवं 13.09.2022 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक गालव सभागार में उपस्थित होगी। अतः सभी अपने आधार व मतदाता पहचान पत्र को लिंक कराने हेतु उक्त समयावधि में गालव सभागार में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो रविकांत अदालतवाले

नोडल अधिकारी

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

“प्ररूप 6ख  
[नियम 26ख देखिए]

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र

मैं, ..... (निर्वाचक का नाम), .....  
.....(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम) में नामांकित हूँ और मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

है।

मैं निर्वाचक नामावली में मेरी प्रविष्टि के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ :-  
(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं)

- (i)  आधार सं.  या
- (ii)  मैं आधार सं. प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। इसलिए मैं निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करता हूँ :-  
(कृपया समुचित बाक्स में से किसी एक पर  का निशान लगाएं)

- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक
- श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- चालान अनुज्ञप्ति
- पैन कार्ड
- एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज
- केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान-कार्ड
- संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद् के सदस्यों को जारी शासकीय पहचान-पत्र
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान परिचय-पत्र (यूडीआईडी)

निर्वाचक के हस्ताक्षर : .....

निर्वाचक का नाम : .....

ई-मेल पता/मोबाइल सं० : .....

स्थान

तारीख